न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 254 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/270)
पंजीयन दिनांक– 05.08.2021
निर्णय दिनांक– 15.11.2021

1. श्री हजारी पिता पेमा गाड़री, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ।
2. श्री भगवान पिता परथा गाडरी, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री गोपी पिता भुरा जाट, निवासी मुरलिया मृतक के बजायः–

1/1 श्री उदयलाल पिता गोपी जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/2 श्री शंकर पिता गोपी जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/3 श्री नारायण पिता गोपी जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/4 श्री बालु पिता गोपी जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

1/5 श्रीमती चांदी बाई पुत्री गोपी पत्नि रतन जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, हाल मुकाम ब्यावर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री भगवानलाल पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट 1/4

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण
संख्या 08/2021 निर्णय दिनांक 08.04.2021

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 08/2021 निर्णय दिनांक 08.04.2021 के विरूद्ध दिनांक 03.08.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 41 नियम 5 जाप्त दीवानी के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट गोपी पिता भुरा जाट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मुरलिया के खाता संख्या 48 आराजी नम्बर 56 रकबा 1.6660 हैक्टेयर लगानी 23 रूपये 24 पैसा है, जो अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। इस कृषि भूमि के पडौस में विपक्षी रेस्पोडेंट की कृषि भूमि है, अपीलांट व उसके मध्य की भूमि में कोई सीमांकन नही है, आये दिन झगडा फसाद होता है, इसलिए उसका सीमांकन किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2021 अंतर्गत धारा 128 के तहत निर्णय दिनांक 08.04.2021 से रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1/4 की ओर से श्री नरेश जणवा

उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 व 1/5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 15.11.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अनुपालना में अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई एवं बिना अपीलांट को सुने जो आदेश दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। पत्थरगढ़ी जो की गई है वह गलत नक्शे के आधार पर की गई है। अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1/4 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा दिनांक 08.04.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 08.04.2021 को पेश होकर अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया जाने के कारण मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रणर्णाथ ग्रहण की जाती है।

उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के यहां दिनांक 08.04.2021 को पेश हुआ प्रकरण में अपीलाण्ट को बिना सुने दिनांक 08.04.2021 को ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 128 के तहत प्रकरण में विधिवत् सुनवाई नहीं कर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सर्व संबंधित पक्षकारों को सुनकर

विधिवत् जांच करते निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित हों।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर